न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 37 / 2024	12.06.2024	16.10.2024

1–सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

2–धर्मवीर पुत्र रामपाल मथुरिया जाति बनिया निवासी 5 / 111 यू.आई.टी. भिवाडी थाना भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) सहपठित द्रवित पट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लधंन ।

उपस्थितः–

1 ———————— विभागीय प्रतिनिधि

2–अनुपस्थित वकील अप्रार्थी

——:: निर्णय ::——

थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा की ओर से यह प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) सहपठित द्रवित पट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लधंन पाये जाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 02.06.2014 को वृताधिकारी वृत भिवाडी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की गयी कि थाना भिवाडी पर उपस्थित रहकर राजकार्य कर रहा था, समय 05.05 बजे (पी.एम) पर जर्ये मुखबीर के थाना भिवाडी पर ईतला मिली की एक शक्स एच 715 फैस फस्ट बन्द कम्पनी में घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेण्डर्स की अवैध रूप से कालाबाजारी कर रहा है। बन्द कम्पनी की खाना तलाशी हेतु वारन्ट लेने में समय लगेगा व माल को खुर्द–बुर्द करने की सम्भावना है, उक्त ईतला पर मन वृताधिकारी यम वाहन सरकारी बोलोरो मय चालक सुरेन्द्र कुमार मय कानि0 प्रदीप कुमार 1774 रामसिंह 1845 थाना भिवाडी के थाना भिवाडी से समय 5.10 बजे (पी.एम.) पर रवाना होकर मुताबिक ईतला बन्द कम्पनी एच. 715 फैस फस्ट पर समय 5.15 बजे (पी.एम.) पर कम्पनी पहुचा व मन वुताधिकारी मय जाब्ता के कम्पनी में प्रवेश किया तो एक व्यक्ति कम्पनी के अन्दर गैस सिलेण्डर्स के पास बैठा मिला जो पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा जिसको मन वृतााधिकारी के निर्देशानुसार कानि0 प्रदीप कुमार 1774 थाना भिवाडी ने पकडा जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम धर्मवीर पुत्र रामपाल मथुरिया जाति बनिया निवासी 5 / 111 यू.आटी.टी. भिवाडी थाना भिवाडी होना बताया। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं कमर्शियल गैस सिलेण्डर्स के

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

बाबत पूछा तो अपने स्वयं के होना बताया एवं बैचान के लिये रखना बताया जिससे घरेलू व कर्मशियल गैस सिलेण्डर्स अपने कब्जे में रखने का लाईसेन्स/परिमिट के बाबत पूछा गया तो अपने पास में कोई वैघ लाईसेन्स/परमिट नही होना बताया गया। अप्रार्थी धर्मवीर पुत्र रामपाल मथुरिया जाति बनिया निवासी मकान न0 5/111 यू.आई.टी. भिवाडी के द्वारा अवैध गैस सिलेण्डर्स व कामर्शियल गैस सिलेण्डर्स अपने कब्जे में रखना एवं कालाबाजारी करना यह कृत्य धारा 3/7 ई.सी. एक्ट का दण्डनीय अपराध घटित होना पाया जाने पर कानि0 प्रदीप व कानि0 रामसिंह के समक्ष घरेलू 6 सिलेण्डर्स कामर्शियल गैस के 2, इण्डेन कम्पनी 2, एच.पी. गैस के कामर्शियल सिलेण्डर्स एक भारत कामर्शियल सिलेण्डर्स को बतौर वजय सबूत के जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। अप्रार्थी धर्मवीर पत्र रामपाल मथुरिया जाति बनिया निवासी 5/111 यू.आई.टी. भिवाडी थाना भिवाडी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। मुकदमा हाजा में जप्त शुदा कामर्शियल गैस सिलेण्डर्स जो अत्यन्त ज्वलशील प्रदार्थ है, व कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उक्त गैस सिलेण्डर्स कामर्शियल को नियमानुसार राजसात किया जाकर निस्तारण किया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी को बार–बार जर्ये नोटिस तलब किया गया, किन्तु अप्रार्थी आदिनाक तक उपस्थित नही हुआ। न ही अपना जवाब पेश किया गया।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनाक दिनाक 02.06.2014 को वृताधिकारी वृत भिवाडी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की गयी की एक शक्स एच 715 फैस फस्ट बन्द कम्पनी में घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेण्डर्स की अवैध रूप से कालाबाजारी कर रहा है। वुताधिकारी मय जाब्ता के कम्पनी में प्रवेश किया तो एक व्यक्ति कम्पनी के अन्दर गैस सिलेण्डर्स के पास बैठा मिला जो पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा जिसको मन वृतााधिकारी के निर्देशानुसार कानि0 प्रदीप कुमार 1774 थाना भिवाडी ने पकडा जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम धर्मवीर पुत्र रामपाल मथुरिया जाति बनिया निवासी 5/111 यू.आटी. टी. भिवाडी थाना भिवाडी होना बताया। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर्स एवं कमर्शियल गैस सिलेण्डर्स के बाबत पूछा तो अपने स्वयं के होना बताया एवं बैचान के लिये रखना बताया जिससे घरेलू व कर्मशियल गैस सिलेण्डर्स अपने कब्जे में रखने का लाईसेन्स/परिमिट के बाबत पूछा गया तो अपने पास में कोई वैघ लाईसेन्स/परमिट नही होना बताया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध गैस सिलेण्डर्स व कामर्शियल गैस सिलेण्डर्स अपने कब्जे में रखना एवं कालाबाजारी करना यह कृत्य धारा 3/7 ई.सी. एक्ट का दण्डनीय अपराध घटित होना पाया जाने पर कानि0 प्रदीप व कानि0 रामसिंह के समक्ष घरेलू 6 सिलेण्डर्स कामर्शियल गैस के, 2 इण्डेन कम्पनी, 2 एच.पी.गैस के कामर्शियल सिलेण्डर्स , एक भारत कामर्शियल सिलेण्डर्स को कानि0 प्रदीप व कानि0 रामसिंह के समक्ष बतौर वजय सबूत के जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। मुकदमा हाजा में जप्त शुदा कामर्शियल गैस सिलेण्डर्स जो अत्यन्त ज्वलशील प्रदार्थ है, व कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उक्त गैस सिलेण्डर्स कामर्शियल को नियमानुसार राजसात किया जाकर निस्तारण किया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

प्रकरण में अप्रार्थी को बार–बार जर्ये नोटिस तलब किया गया, किन्तु अप्रार्थी आदिनाक तक बावजुद सूचना के उपस्थित नही हुआ। न ही अपना जवाब पेश किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव प्रार्थी की बहस का मनन किया। उक्त प्रकरण में दिनाक 02.06.2014 को वृताधिकारी वृत भिवाडी ने बन्द कम्पनी एच. 715 फैस फस्ट पर समय 5.15 बजे (पी.एम.) पर मय जाब्ता के अप्रार्थी धर्मवीर पुत्र रामपाल मथुरिया जाति बनिया निवासी मकान न0 5/111 यू.आई.टी. भिवाडी के द्वारा अवैध गैस सिलेण्डर्स व कामर्शियल गैस सिलेण्डर्स अपने कब्जे में रखना एवं कालाबाजारी करना यह कृत्य धारा 3/7 ई.सी. एक्ट का दण्डनीय अपराध घटित होना पाया जाने पर कानि0 प्रदीप व कानि0 रामसिंह के समक्ष घरेलू 6 सिलेण्डर्स, कामर्शियल गैस के 2, इण्डेन कम्पनी 2, एच.पी.गैस के कामर्शियल सिलेण्डर्स 1, भारत कामर्शियल सिलेण्डर्स को बतौर वजय सबूत के जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। विभाग द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये घरेलू गैस सिलेण्डर्स का भण्डारण एवं परिवहन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो की अवहेलना किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत घरेलू 6 सिलेण्डर्स, कामर्शियल गैस के 2, इण्डेन कम्पनी 2, एच.पी.गैस के कामर्शियल सिलेण्डर्स, एक भारत कामर्शियल सिलेण्डर्स को जप्त किया गया है। वृताधिकारी वृत भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन वृताधिकारी वृत भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है, प्रकरण में जब्तशुदा घरेलू 6 सिलेण्डर्स, कामर्शियल गैस के 2, इण्डेन कम्पनी 2, एच.पी.गैस के कामर्शियल सिलेण्डर्स, एक भारत कामर्शियल सिलेण्डर्स को दिनाक 02.06.2014 को कानि0 प्रदीप व कानि0 रामसिंह को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया हुआ है, सुपुर्दगार से वापिस प्राप्त कर नियमानुसार राजसात किये जाने की कार्यवाही करे। एवं की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय प्रमाणित प्रति प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा जिला खैरथल–तिजारा को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा (राज0)